into the dumping of graphite electrodes in the country by certain countries;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) the action contemplated by the Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) to (c) Yes, Sir. The Additional Secretary in the Ministry of Commerce has been notified as "Designated authority" for the purpose of carrying out investigations and to recommend antidumping duties under Section 9(a) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the rules made thereunder. On receipt of the petition from the domestic industry, the Designated Authority has initiated investigations -against graphite elect rodes imported form USA, China, France, Germany, Belgium, Austria, Italy and Spain. This initiation notification has been issued on September 30, 1996. Under these rules definitive duties are required to be recommended by the Authority within a period of 12 months from the date of initiation.

गुजरात में नारायण सरोवर अभयारण्य

304. **श्री राघवजी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में कच्छ में स्थित नारायण सरोवर अभयारण्य को 1993 में अधिसूचना से निकाल दिया गया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्छ में पर्यावरण की दृष्टि से अति-संवेदनशील "खौथार द्वीप" पर पर्यावरण की मंजूरी प्राप्त किए बिना ही घाट (जैटी) का निर्माण किया जा रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में पर्यावरण की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं और क्या उसमें सुधार लाने के लिए विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) गुजरात विधान सभा ने 27.7.1995 को एक संकल्प पारित करके नारायण सरोवर अभयारण्य के 756.79 वर्ग कि०मी० के पहले वाले क्षेत्र को कम करके 444.23 वर्ग कि० मी० क्षेत्र कर दिया था। इसके संदर्भ में 9.8.1995 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी की थी। राज्य सरकार ने बताया है कि यह कच्छ जिले के औद्योगिक विकास के लिए जो कि अभी तक अल्पविकसित है, अधिसूचित क्षेत्र को हटा करके खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए किया गया था।

(ख) और (ग) गुजरात के कच्छ जिले में अकरी गांव के निकट एक जैटी के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु जून, 1996 में मैसर्स संघी इंडस्ट्रीज लि० से वन तथा पर्यावरण विभाग, गुजरात शासन के माध्यम से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुई थी। इस परियोजना को अभी तक पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। सरकार के ध्यान में यह आया है कि प्रस्तावित जैटी को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व अनुमति लिए बिना ही शुरू किया गया है। कंपनी के खिलाफ माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला लंबित है। माननीय न्यायालय द्वारा किसी सड़क अथवा जैटी के किसी निर्माण अथवा जैटी से जुड़े हुए किसी निर्माण के खिलाफ स्थगन आदेश दिया गया है।

मूल्यांकन के दौरान तथा विकासात्मक परियोजनाओं पर मंजूरी हेतु निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं को देखा जाता है।

Creation of a Railway Catering Corporation

305. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the present position of the proposal regarding creation of a Railway Catering Corporation;

(b) the details thereof; and

(c) the time by which it will be created?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) In response to the demand raised in Parliament, the Press and the travelling public for bringing about qualitative improvement in railway catering services, it is proposed to set up the Indian Railway Catering and Tourism